

9/5/21

वादी एवं वकील वादी उप. नहीं। बॉट-2
आवाज दिलाई गई। डि.लु. कोई उपस्थित
नहीं आया। ऐसी स्थिति में दावावादी
अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर
है।

उपखण्ड अधिकारी
पटवड़ी (नरसपुर)